न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 18 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट

1. गोपालसिंह पुत्र हडमतसिंहजी **बनाम**
2. मीरोदेवी पुत्री हडमतसिंह
3. गौतमसिंह पुत्र हडमतसिंह
4. दिलीपसिंह पुत्र हडमतसिंह
5. कौशल्यादेवी पुत्री हडमतसिंह
6. मथरादेवी पत्नी हडमतसिंह

जातियान राजपुरोहित
निवासीयान कालूडी तहसील
पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)

रेस्पोडेंटगण

1.शंकरसिंह पुत्र राणसिंह जी
2.दुर्गसिंह पुत्र वस्ताजी के का.मु:–
1/1रूपसिंह पुत्र दुर्गसिंहजी
1/2श्रीमती सायरकंवर पत्नी दुर्गसिंहजी
1/3श्रीमती रूखमणीदेवी पुत्री दुर्गसिंहजी
1/4श्रीमती लीलादेवी पुत्री दुर्गसिंहजी
3.मंगला पुत्र वस्ताजी
4.भीखा पुत्र वस्ताजी जातियान पुरोहित निवासी कालूडी तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर (राज.)
5.श्रीमान भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2003 बअनवान शंकरसिंह बनाम गणेश के कायम मुकाम सूआदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2016 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री उम्मेदसिंह चम्पावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री चेलाराम कुमावत रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से ।

निर्णय

दिनांकः– 29.08.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की पुश्तैनी हक हिस्सा व स्वत्व की भूमि ग्राम कालूड़ी में खसरा संख्या 6 रकबा 256 बीघा, खसरा संख्या 17 रकबा 285.06 बीघा कुल रकबा 541.06 बीघा है। उक्त भूमि का 1/2 हिस्सा शंकरसिंह पुत्र राणसिंह राजपुरोहित के नाम गलत रूप से अंकित हो गया था। रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2003 में स्वर्गीय गणेशा व उनके फौत होने पर उनके पुत्र हडमतसिंह की सुनवाई के अभाव में प्राथमिक डिक्री कर दिया गया, जिसका ज्ञान होने पर अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई, जो श्रीमान की अदालत में राजस्व अपील संख्या 37/2013 हैं। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2012 को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करने के आधार पर अपास्त फरमाया और **"उभयपक्ष को सुना जाकर निर्णय पारित करें"** का आदेश न्यायालय हाजा. द्वारा दिनांक 14.9.2015 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2003 को पुनः नम्बर पर तो लिया गया और अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय को पूर्णतः अपास्त फरमा दिया गया जिसको बाद सुनवाई पुन प्राथमिक डिक्री जारी करनी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.03.2012 को बहाल रखा व उसकी पालना में ही पूर्व निर्णय अनुसार तहसीलदार

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पचपदरा से तलब विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय की घोर अवमानना करते हुए पूर्व निर्णय जो अपास्त होने के उपरांत भी अपीलाधीन आदेश विधि की मंशा के विरूद्ध जाकर पारित किया गया। आदेशिका में उभपयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज कर दी गयी जबकि स्वर्गीय गणेशा के कायम मुकाम को न तो नोटिस दिया गया न उन्हे सुनवाई का अवसर ही दिया गया। बाले बाले राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध दिनांक 19.01.2016 अपास्त किये जाने के पश्चात ही अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पालन नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ होने से काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2003 में स्वर्गीय गणेशा व उनके फौत होने पर उनके पुत्र हडमतसिंह की सुनवाई के अभाव में प्राथमिक डिक्री कर दिया गया, जिसका ज्ञान होने पर अपीलांट द्वारा अपील पेश की गई, जो श्रीमान की अदालत में राजस्व अपील संख्या 37/2013 हैं। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 20.03.2012 को राजस्व मण्डल के नियम 18 से 21 की पालना नहीं करने के आधार पर अपास्त फरमाया और **"उभयपक्ष को सुना जाकर निर्णय पारित करें"** का आदेश न्यायालय हाजा. द्वारा दिनांक 14.9.2015 को पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2003 को पुनः नम्बर पर तो लिया गया और अपीलीय न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक डिक्री व निर्णय को पूर्णतः अपास्त फरमा दिया गया जिसको बाद सुनवाई पुन प्राथमिक डिक्री जारी करनी थी, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री दिनांक 20.03.2012 को बहाल रखा व उसकी पालना में ही पूर्व निर्णय अनुसार तहसीलदार पचपदरा से तलब विभाजन प्रस्ताव के अनुरूप अंतिम डिक्री जारी कर दी गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलीय न्यायालय की घोर अवमानना करते हुए पूर्व निर्णय जो अपास्त होने के उपरांत भी अपीलाधीन आदेश विधि की मंशा के विरूद्ध जाकर पारित किया गया। आदेशिका में उभपयपक्ष के अधिवक्ताओं की उपस्थिति दर्ज कर दी गयी जबकि स्वर्गीय गणेशा के कायम मुकाम को न तो नोटिस दिया गया न उन्हे सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। बाले बाले राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध दिनांक 19.01.2016 अपास्त किये जाने के पश्चात ही अंतिम डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

जारी कर दी गई जो विधि सम्मत नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित करते समय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पालन नहीं किया गया। अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को निरस्त फरमाते हुए उसकी रूह में नामांतकरण संख्या 637 अपीलाधीन भूमि का अपास्त व शून्य फरमावे व मूल वाद में प्राथमिक डिक्री से पूर्व की स्थिति को कायम फरमाते हुए उसी अनुसार कार्यवाही किये जाने का आदेश फरमावे।

अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी करते हुए बताया कि अपीलांट द्वारा प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध अपील की गई। अपीलीय न्यायालय द्वारा प्राथमिक डिक्री को निरस्त करते हुए दिनांक 14.09.2015 को प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर देकर दिनांक 19.01.2016 को अंतिम डिक्री जारी कर दी गई। प्राथमिक डिक्री पर कोई उज्र एतराज नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते समय राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 20 व 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर किया गया है। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्तवा के आधार अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री का राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हो गया है। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलीय न्यायालय के निर्णय की कोई पालना किसी भी रूप में नहीं कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दोनों पक्षों के वकील उपस्थित होने का आधार रचकर विधि व विधान से परे जाकर दिनांक 19.01.2016 को निर्णय एवं डिक्री पारित की

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

गई। जिसका हम अपीलांटगण को कोई ज्ञान किसी भी रूप में नहीं होने दिया गया व न ही स्वर्गीय गणेशाजी के देहान्त के बाद से हडमतसिंह, सुआकंवर एव हम अपीलांट को कोई विधिवत रूप से उक्त वाद पत्र में सूचित ही किया गया। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पालना में हल्का पटवारी द्वारा राजस्व अभिलेख में परिवर्तन करने लगे तब हमें ज्ञान हुआ तो हमारे द्वारा श्रीमान सहायक जिलाधीश महोदय, बालोतरा की अदालत में धारा 144 एवं 151 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया जो दिनांक 14.12.2017 को उक्त अदालत द्वारा अपास्त फरमा दिया गया। जिसकी अपील विधिवत रूप से राजस्व अपील अधिकारी के समक्ष पेश की गई जो दिनांक 12.02.2019 को स्वीकार हुआ। परन्तु दिनांक 19.01.2016 का विधि व विधान से परे पारित निर्णय को अपास्त नहीं किया गया हैं। जिसके बहाल रहते अपीलांट के साथ और घोर अन्याय होने की प्रबल संभावना है। उपरोक्त कारणों के आधार पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलांट ने अपील को जान बुझकर अथवा किसी दुराशय पूर्वक देरी नहीं की गई हैं तथा अपीलांटगण ग्रामीण हैं व उक्त अपील का मूल वाद स्वर्गीय गणेशाजी प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा लडा जा रहा था जिनका दौराने वाद देहान्त हो गया तत्पश्चात रेस्पोडेंट शंकरसिंह द्वारा अति सोच समझकर उक्त वाद पत्र को बाले बाले डिक्री करा दिया गया। जिसकी सत्यता दिनांक 24.06.2010 व 01.02.2011 की मूल वाद की आदेशिका से स्पष्ट हैं कि हम अपीलांट व गणेशाजी के देहान्त पर हडमतसिंह व सुआदेवी को किसी भी रूप से बतौर कायम मुकाम न तो सूचित किया गया व न ही कोई नोटिस वगैरा ही किसी भी रूप में दिये गये बल्कि बाले बाले हमारे द्वारा किसी भी अधिवक्ता की नियुक्ति के अभाव में पक्षकारान की ओर से अधिवक्तागणों की उपस्थिति दिखाकर सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध व विधि विरूद्ध रूप से की गई हैं, जिसका खामियाजा हम अपीलांटगण को भुगतने हेतु मजबूर होना पड़ रहा है। अपीलल में किसी भी रूप से अगर देरी भी हुई हैं तो उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों के मध्य नजर क्षमा करते हुए हम पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के न्याय उद्देश्य की पूर्ति में उक्त हुई देरी में क्षमा प्रदान करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 मियाद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सद्भाविक नहीं। अपली पेश करने में हुई देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया। अपील पेश करने में हुई देरी के एक–एक दिन के देरी का विवरण नहीं बताया गया है। अतः लिमिटेशन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय इसका निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। लिहाजा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड के संदर्भ में मामले का परीक्षण किया। अपीलांट न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रदान किये गये निर्देशों की स्पष्ट अवहेलना की गई। राजस्थान टिन्नेसी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा न्यायालय हाजा द्वारा अपास्त की गई प्राथमिक डिक्री की पालना में पूर्व में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अंतिम डिक्री जारी कर दी गई जबकि विधि अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के आधार पर तलब कर विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना चाहिए था। बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील रिमाण्ड करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय **सहायक** कलक्टर बालोतरा द्वारा राजस्व वाद संख्या 94/2003 बअनवान शंकरसिंह बनाम गणेश(गणेशा) के कायम मुकाम सूआदेवी वगैरा में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 19.01.2016 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को समुचित सुनवाई का मौका दिया जाकर साक्ष्य/सबूत लेकर नये सिरे से प्राथमिक डिक्री जारी कर एवं तहसीलदार स्वयं से मौका दिखवाकर नियमानुसार बाई मिटस एण्ड बाउंडस विभाजन प्रस्ताव प्राप्त कर गुणावगुण के आधार पर पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

29/8/19

(नखतदान चारण)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 29.08.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29/8/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner